अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0— 352 सन् 2016

मंझरीया देवी व अन्य.....वादीगण

बनाम

शिवनाथ मंडल व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः—

23.12.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 05.12.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादीगण द्वारा 05.12.2019 को एक आवेदन आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि वादीगणा द्वारा उपर्युक्त वाद वाद सं0 706/ 63 के आधार पर तकरारी एराजी पर अपना दावा करते हुए दाखिल किया गया था जिसमें आलोक में प्रतिवादीगण के तरफ से बयान तहरीरी दाखिल किया गया। इसके पश्चात् वादीगण द्वारा अपने अर्जीदावे में दिनांक 18.08.2017 के आदेश के आलोक में संशोधन किया गया और अपितु नये तथ्यों को शामिल किया गया जिसके आलोक में

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक 13.10.2017 को एक अतिरिक्त बयान तहरीर दाखिल किया गया, किंतु विधिक सलाह के अभाव में उस बयान तहरीरी के परस्तावित मिलने के आलोक में कोई अभिकथन प्रतिवादीगण के तरफ से नहीं किया गया, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को हुई अतः यह अनिवार्य है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी में सुधार किया जाए और इसी कारण यह मरम्मती का आवेदन उनके तरफ से दिया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा उन बातों का उल्लेख किया गया है जिसे वे अपने बयान तहरीरी में शामिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वादीगण द्वारा इस आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि प्रस्तुत मरम्मती आवेदन तथ्य एवं कानून दोनों के आधार पर खारिज योग्य है और दिनांक 13.10.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल किया गया है जिसके दो वर्ष के पश्चात् यह आवेदन दाखिल किया जा रहा है जो उचित नहीं है और खारिज योग्य है और इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा जिन बातों का उल्लेख मरम्मती आवेदन में किया गया है वे पूर्णतः गलत हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का आवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर मरम्मती का यह आवेदन दिया गया है कि

प्रतिवादीगण ने जो अतिरिक्त बयान तहरीर दाखिल किया था उसमें कुछ आवश्यक बातों को शामिल नहीं कर पाये थे। दोनों पक्षों द्वारा मरम्मती का आवेदन स्वीकृत किए जाने एवं स्वीकृत नहीं किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को देखने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण का आवेदन सामान्य प्रकृति का है और न्यायहित में इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमे के मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन होता प्रतीत नहीं होता है अतः 500/– रूपये खर्चे के साथ प्रतिवादीगण का आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03.01.2020

सब जज
सोनपुर सारण।